भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3270

दिनांक 06.12.2016/15 अग्रहायण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस को प्रशिक्षण

†3270. डॉ0 उदित राज:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पुलिस को आतंकवाद/नक्सलवाद/माओवाद से निपटने हेतु विशेषीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए अन्य क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान माओवाद के शिकार हुए पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्यों को प्रदान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)

(क): जी, हां। 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय होने के कारण विशेषीकृत प्रशिक्षण सहित, प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार पुलिस बलों के प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

(ख): भारत सरकार राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के माध्यम से बुनियादी (फाउंडेशन) स्तर, कार्यात्मक (फंक्शनल) स्तर और निदेशात्मक (डाइरेक्शनल) स्तर पर पुलिस अधिकारियों के लिए रणनीतिक प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। अब तक, 2075 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद और ग्रेहाउंड्स, हैदराबाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस, दोनों के कार्मिकों को विशेषीकृत प्रीइंडक्शन, कमांडों, नक्सल-रोधी और आईईडी-रोधी प्रशिक्षण प्रदान

....2/-

कर रहे हैं। विद्रोह एवं आतंकवाद-रोधी (सीआईएटी) स्कूल राज्य पुलिस कार्मिकों को विशेषीकृत आतंकवाद/नक्सलरोधी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों की उनकी स्वयं की क्षमताएं विकसित की जा रही हैं, ताकि वे अपने-अपने प्रशिक्षण संस्थानों में विशेषीकृत प्रशिक्षण उपलब्ध करा सकें।

(ग): केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत निधियां मुहैया करा रही है। इसमें सचलता, हथियारों, उपकरण, प्रशिक्षण अवसंरचना, कंप्यूटरीकरण, विधि-विज्ञान और महानगर पुलिस व्यवस्था (एमसीपी) के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(घ): कार्रवाई में मारे गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों के निकटतम सगे संबंधी को, अन्य बातों के साथ-साथ, 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के तहत 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 35 लाख रूपए का अनुग्रह मुआवजा प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, नक्सली हिंसा में मारे गए पुलिस कार्मिक के परिवारों को सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा राज्यों सरकारों को की जाती है, के अंतर्गत 3 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ अनुग्रह भुगतान किया जाता है। वामपंथी उग्रवाद-रोधी अभियानों में शामिल पुलिस कर्मियों की बीमा के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति भी प्रति वर्ष प्रति-कार्मिक अधिकतम 1000 रुपये के अध्यधीन, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना से की जाती है। बीमाकृत राशि सामान्यतः 10 लाख रुपये या इससे अधिक होती है।